

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 24.03.2024 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 113/2024 धारा 363/366/354डी/507 भादवि व 16/17 पॉस्को एक्ट व 3(2)5 SC/ST ACT के वांछित अभियुक्त सचिन पुत्र रामसिंह नि0 हसनापुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 86/2024 धारा 363/366 भादवि0 के वांछित अभियुक्त नागेन्द्र पुत्र नंदू नि0 भूल सचेण्डी कानपुर नगर को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त राधा कृष्ण पुत्र गुरु नारायण निवासी ग्राम कीरतपुर बिल्सराय थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब अवैध बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 139/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा अभियुक्त अमित कुमार पुत्र रमेश चन्द्र पाल निवासी अम्बरपुर थाना रूरा कानपुर देहात के कब्जे से 18 अदद ट्रेटा पाउट (जानेमन ब्राण्ड) अवैध देशी शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 89/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्त रामशरण सिंह पुत्र लखपति उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम कोरारी थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 30 अदद क्वार्टर देशी शराब नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 59/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सट्टी पुलिस द्वारा 1- अब्दुल वहीद कसाई पुत्र अब्दुल लतीफ कसाई 2- हारुन कसाई पुत्र सुखू 3- साहरुन कसाई 4- सोनू काना 5- ताज 6- बाटल 7- चाँद बाबू पुत्रगण हारुन कसाई 8- इरफान उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र मकबूल कसाई 9- कलीम उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र अब्दुल सलाम कसाई 10- कलाम उम्र 45 वर्ष पुत्र अब्दुल सलाम कसाई 11- अकील उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र अब्दुल सलाम कसाई 12- इशितयाक 13- मुस्ताक 14- आराफ पुत्रगण इब्राहिम 15- वासिफ उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र कलाम 16- अनवर उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्र रमजानी शेख जी 17- मासूम उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र गोलम 18- लाला उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र शरीफ समस्त निवासी ग्राम व पोस्ट सट्टी थाना सट्टी कानपुर देहात द्वारा एक राय होकर वादी के घर में घुसकर वादी व वादी के परिवार वालो के साथ गाली गलौज, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना व बने हुए पिलर को तोड़ देने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 18/2024 धारा 323/504/506/452/427/34 भादवि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त राहुल पुत्र रामकुमार जाति- शंखवार उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम भडावल थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 21 अदद देशी क्वाटर ट्विन टावर ब्राण्ड नाजायज बरामद होने

सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 051/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

- थाना बरौर पुलिस द्वारा अभियुक्ता चन्द्रकली पत्नी छोटेलाल निवासिनी बरौर की मडैया थाना बरौर कानपुर देहात के कब्जे से 25 अदद टेट्रा पाउच वेब ट्विन टावर अवैध देशी शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 023/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त देवेन्द्र सिंह पुत्र बदन सिंह नि0 धूरपुर थाना ठठिया जनपद कन्नौज के कब्जे से 17 अदद नाजायज क्वार्टर देशी शराब जानेमन ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 108/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र स्व0 गयादीन नि0 इकघरा थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 66 अदद नाजायज क्वार्टर देशी शराब ट्विन टावर ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 109/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त सतीश कुमार पुत्र रामशंकर नि0 ग्राम घुरऊपूरन पुरवा थाना रसूलाबाद कानपुर देहात के कब्जे से 18 अदद नाजायज क्वार्टर देशी शराब ट्विन टावर ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 110/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा अभियुक्त अरविंद पाल पुत्र परशुराम पाल निवासी बकसपुकवा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 15 क्वार्टर देशी शराब टिवन टावर ब्राण्ड नाजायज के बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 75/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा अभियुक्त गंगा चरण S/O गजराज सिंह R/O विलाखपुर थाना अमराहट कानपुर देहात के कब्जे से 17 क्वार्टर देशी शराब टिवन टावर ब्राण्ड नाजायज के बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 76/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रनियां पुलिस द्वारा अभियुक्त अंकित शर्मा पुत्र महेन्द्र शर्मा उम्र 38 वर्ष निवासी प्रसिद्धपुर मोड मयूर पुल के पास कस्बा रनिया थाना रनियां का0दे0 अभि0 के कब्जे से 80 क्वार्टर ट्विन टावर देशी अवैध शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 63/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 18 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रूरा पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना बरौर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 08 व्यक्तियों तथा थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया।